लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
023/2022 (GCMS 2022/112)	02.05.2022	18.05.2022

अनवान

अल्पना जैन पत्नि अनिल जैन निवासी फ्लेट नंबर 502, हिंतावाला टावर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान)

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोर्डेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 07.03.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./023/2022(सू.अ.)(18.05.2022)/359 दिनांक 06.05.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 18.05.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 18.05.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/756 दिनांक 18.05.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह कि प्रार्थीया श्रीमति अल्पना जैन पत्नि अनिल जैन निवासी फ्लेट नंबर 502, हिंतावाला टावर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राज.) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2022 इस कार्यालय में दिनांक 07.03.2022 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/191 दिनांक 31.03.2022 से आवेदन पत्र मूल ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को भेजकर प्रार्थी को इस संबंध में अवगत कराया गया हैं। (पत्र की प्रति संलग्न हैं।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत करा दिये जाने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं। इसी के साथ कार्य की अधिकता एवं कार्मिकों के अभाव के कारण समयावधि में सूचना से अवगत नहीं कराये जाने के कारण क्षमाप्रार्थी हूं। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/756 दिनांक 18.05.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेंन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से यह तथ्य उजागर हुआ है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 05.03.2022 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 07.03.2022) को अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/191 दिनांक 31.03.2022 से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को आवेदन प्राप्त होने के 24 दिवस पश्चात दिनांक 31.03.2022 को स्थानान्तरित किया गया। अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में प्रावधित किया गया है कि **“यदि कोई आवेदन किसी लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिये अनुरोध करते हुए किया जाता है कि (i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है अथवा (ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य अधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहाँ, वह लोक अधिकारी, जिसके समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समूचित हो, उस अन्य लोक**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राधिकारी को अन्तरित करेगा एवं अन्तरण की सूचना तुरंत आवेदक को भी देगा। परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन को अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।" हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्थानान्तरित किया गया हैं जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्तकर्त्ता लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त कर अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करावें।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित कार्यालय (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़) से 15 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.05.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
18.05.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official